रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-501/2023/1881/22-2-2023-17(687)/2023

लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इरशाद (बन्दी संख्या-64/2008) पुत्र श्री मसीउद्दीन, निवासी-अजीजलपुर, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-68/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), हमीरपुर के आदेश दिनांक 11.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया. जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.05.2019 द्वारा यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 10.04.2022 तक 18 वर्ष 03 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 01 माह 06 दिन की सपरिहार सजा एवं उत्कृष्ट जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बांदा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-**501**/2023/1881(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

3- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को एस0एम0 रिट याचिका (क्रि0मि0) संख्या-04/2021 इन री स्टेजी फार आफ वेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in